भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3880
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय पर फसल विविधीकरण का प्रभाव

3880. श्री रोडमल नागरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में हुई प्रगति, जिसमें प्रोत्साहित की गई फसलों का ब्यौरा और किसानों की आय पर उनका प्रभाव शामिल है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश, विशेषकर राजगढ़ जैसे जिलों में किसानों को कम पानी / उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए प्रदान की गई वित्तीय/तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) विविध फसलों के लिए वास्तविक समय पर एडवाइजरी और बाजार संपर्क के लिए शुरू की गई नई प्रौद्योगिकियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या हैं;

(घ) जैविक/प्राकृतिक खेती, कुशल जल उपयोग सहित संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और इन्होंने किसानों की आदान लागत कम करने में किस प्रकार योगदान दिया है; और

(ङ) विविध कृषि उपज के मूल्य संवर्धन और निर्यात के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषि स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए भविष्य की रूपरेखा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क और ख) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तीन राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अधिक पानी की खपत वाली धान की फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर डायवर्ट करने के लिए, राज्य सरकारों के माध्यम से प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2015-16 से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 10 तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू की फसल में विविधता लाने के लिए सीडीपी का विस्तार किया गया। सीडीपी के अंतर्गत, वैकल्पिक फसल डेमॉन्सट्रेशन, कृषि मशीनीकरण और मूल्य संवर्धन, साइट विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि का कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को इन गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। सीडीपी का उद्देश्य किसानों के खेतों में वैकल्पिक फसलों का डेमॉन्सट्रेशन करना है और वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान 6.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डेमॉन्सट्रेशन किया गया है। तथापि, मध्य प्रदेश में सीडीपी का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन के अंतर्गत तिलहन और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत बागवानी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एमआईडीएच के अंतर्गत, उत्पादकता बढ़ाने और ऑफ-सीजन उच्च मूल्य वाली सब्ज़ियाँ और फूल उगाने के लिए संरक्षित खेती, अर्थात् पॉली हाउस, ग्रीन हाउस आदि जैसी स्मार्ट खेती विधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) सरकार राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) को कार्यान्वित कर रही है। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर के 1522 एपीएमसी को बाज़ार से जोड़ता है और 238 विविध वस्तुओं की रीयल-टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के बीच ऑनलाइन ट्रेडिंग को सुगम बनाता है और रीयल-टाइम जानकारी प्रदान करता है। सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के किसानों तक पहुँचने के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसे एमकिसान, किसान ई-मित्र, एआई-समर्थित चैटबॉट आदि के माध्यम से सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

(घ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग परिवर्तनशील जलवायु के प्रति कृषि को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) का कार्यान्वयन कर रहा है। देश में कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एनएमएसए के तहत कई योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, सभी राज्यों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 2020 से एफपीओ के गठन और संवर्धन हेतु "10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन" हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत प्रत्येक एफपीओ को 5 वर्षों में 18 लाख रुपये की एफपीओ प्रबंधन लागत उपलब्ध है। एफपीओ, प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये तक का मैचिंग इक्विटी अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं (प्रति किसान 2000 रुपये के अंशदान के स्थान पर)। इसके अतिरिक्त, इस योजना में पात्र ऋणदाता संस्थानों से 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा भी प्रदान की जाती है। एफपीओ को प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके सहायता प्रदान की जाती है। 5,315 एफपीओ को अपने उत्पाद बेचने के लिए ओएनडीसी पोर्टल पर जोड़ा गया है। भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके और देश में एक इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को पोषित करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी कर रही है।

****